

# सीएम के सक्रिय प्रयास व प्रभावी समन्वयन से केन्द्र से प्राप्त राशि में उल्लेखनीय वृद्धि

## मार्च माह में ही केन्द्र ने राज्य को लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की बड़ी राशि की जारी

जयपुर, (निस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सक्रिय प्रयासों के फलस्वरूप स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पेयजल, कृषि व आधारभूत संरचना आदि क्षेत्रों के विकास के लिए संचालित केन्द्रीय योजनाओं में राज्य को मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

मार्च माह में ही राज्य को केन्द्र सरकार के माध्यम से लगभग 19 हजार करोड़ रुपये की बड़ी राशि प्राप्त हुई। प्राप्त राशि से केन्द्र एवं राज्य की डबल इंजन सरकार प्रदेश का सर्वांगीण विकास कर रही है। केन्द्र सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्यों को ब्याज रहित ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम फोर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (सास्को) योजना की शुरुआत की थी।

इस योजना के अंतर्गत राज्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10 हजार 548 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है,



मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा, पेयजल सम्बंधी दिशा निर्देश दिए।

जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष (2020-21 से 2022-23 तक) में यह राशि मात्र 7 हजार 290 करोड़ रुपये ही थी।

एसएनए-स्पर्श पर संचालित केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान

राशि 13 हजार 658 करोड़ रुपये जारी की गई है। इसी प्रकार वित्त आयोग की सिफारिश एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 15 हजार 666 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री के विशेष

प्रयासों से 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत चिकित्सा क्षेत्र में इस वित्तीय वर्ष गत पांच वर्षों में सर्वाधिक 2 हजार 693 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हुई है।

जबकि पूर्ववर्ती सरकार के अन्तिम तीन वर्षों में इस में 833

■ पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के किसी भी वर्ष की तुलना में अधिक राशि हुई प्राप्त

करोड़ रुपये ही प्राप्त हुये थे। उल्लेखनीय है कि एसएनए-स्पर्श पर संचालित योजनाओं के संबंध में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य रहा है। जिसके फलस्वरूप केन्द्र ने प्रदेश को सास्की योजनाओं के तहत 350 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी जारी की है। समग्र शिक्षा में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 हजार 972 करोड़ रुपये और 2024-25 में 3 हजार 93 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय वर्ष 2021-22 में 2 हजार 440 करोड़ और वर्ष 2022-23 में 2 हजार 138 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे।

## विवाह स्थलों की पार्किंग में राहत देने की मांग की

## अतिरिक्त सचिव चालीस हजार की रिश्त लेते गिरफ्तार

## संदेश नायक ने संभाला जयपुर जिला कलेक्टर का पदभार

### सुशासन, पारदर्शिता और जनकेन्द्रित प्रशासन को दी प्राथमिकता

जयपुर, (निस)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की सीकर टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी नीमकाथाना के अतिरिक्त चार्ल्स सचिव एवं सीकर मंडी के अतिरिक्त सचिव रणधीर सिंह को चालीस हजार रुपए की रिश्त लेते री हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि आरोपी रणधीर सिंह परिवारी के परिवर्जितों के नाम चार दुकानों के लाइसेंस जारी करने की एवज में रिश्त की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी चौकी सीकर ने मामले का सत्यान किया, जिसमें आरोपी द्वारा अस्सी हजार रुपए की रिश्त मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक अनिल कयाल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक सुभाष मोल एवं उनकी टीम ने ट्रैप कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी को परिवारी से चालीस हजार रुपए की रिश्त राशि लेते हुए री हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।



संदेश नायक ने गुरुवार को जयपुर जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया।

संदेश नायक ने गुरुवार को जयपुर जिला कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया।

■ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और त्वरित जनसुनवाई पर रहेगा फोकस

उनकी समस्याओं का समाधान करें। नायक ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में तकनीकी नवाचारों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देकर पारदर्शिता, जनबद्धेदी और कार्यक्षमता में वृद्धि की जाएगी। ई-फाइल प्रणाली सहित विभिन्न आईटी आधारित व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे निर्णय प्रक्रिया में गति आएगी और अनावश्यक विलंब को रोका जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों की निरंतर माॉनटरिंग और फील्ड विजिट्स के माध्यम से योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच सके।



जयपुर विवाह स्थल समिति, जयपुर के पदाधिकारीओं ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

जयपुर, (निस)। आज सिटी पैलेस में जयपुर विवाह स्थल समिति, जयपुर के पदाधिकारीओं ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को ज्ञापन पत्र देकर नगर निगम द्वारा विवाह स्थलों पर पार्किंग अनिवार्य करने के नियम में राहत देने का अनुरोध किया।

समिति ने पत्र में बताया कि विवाह स्थल समिति जयपुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों से कार्यरत है और यहाँ आयोजित विवाह समारोहों में कई विवाह स्थलों में पार्किंग की कोई अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। नगर निगम के नए नियमों के अनुसार 25

प्रतिशत पार्किंग विवाह स्थलों में अनिवार्य कर दिया गया है जबकि छोटे विवाह स्थलों पर यह सुविधा प्रदान नहीं है। छोटे विवाह स्थलों में मध्यम एवं गरीब वर्ग के लोग अपने शादी समारोह आदि आयोजन कम खर्च में कर लेते हैं अब इन गार्डनो के बंद होने से मध्यम एवं गरीब वर्ग पर आर्थिक भार पड़ेगा। समिति ने यह भी अवगत कराया कि वर्ष 2026-27 के लिए सैकड़ों विवाह स्थलों का नवीनीकरण किया जाना है लेकिन पार्किंग नियमों के कारण विवाह स्थलों का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है।



जयपुर, (निस)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की सीकर टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी नीमकाथाना के अतिरिक्त चार्ल्स सचिव एवं सीकर मंडी के अतिरिक्त सचिव रणधीर सिंह को चालीस हजार रुपए की रिश्त लेते री हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि आरोपी रणधीर सिंह परिवारी के परिवर्जितों के नाम चार दुकानों के लाइसेंस जारी करने की एवज में रिश्त की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी चौकी सीकर ने मामले का सत्यान किया, जिसमें आरोपी द्वारा अस्सी हजार रुपए की रिश्त मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक अनिल कयाल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक सुभाष मोल एवं उनकी टीम ने ट्रैप कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी को परिवारी से चालीस हजार रुपए की रिश्त राशि लेते हुए री हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

जयपुर, (निस)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की सीकर टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए कृषि उपज मंडी नीमकाथाना के अतिरिक्त चार्ल्स सचिव एवं सीकर मंडी के अतिरिक्त सचिव रणधीर सिंह को चालीस हजार रुपए की रिश्त लेते री हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि आरोपी रणधीर सिंह परिवारी के परिवर्जितों के नाम चार दुकानों के लाइसेंस जारी करने की एवज में रिश्त की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी चौकी सीकर ने मामले का सत्यान किया, जिसमें आरोपी द्वारा अस्सी हजार रुपए की रिश्त मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक अनिल कयाल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक सुभाष मोल एवं उनकी टीम ने ट्रैप कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी को परिवारी से चालीस हजार रुपए की रिश्त राशि लेते हुए री हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

## आमजन के आशियाने का सपना साकार करना रहेगी प्राथमिकता : आवासन आयुक्त

## ‘पेपर लीक या नकल की सूचना देने पर मिलेगा एक लाख का इनाम’

जयपुर, (निस)। आमजन के आशियाने के सपने को साकार करना आवासन मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह कहना है आवासन

■ आवास भवन का किया दौरा, व्यवस्थाओं का लिया निरीक्षण

आयुक्त श्री अरविंद पोसवाल का। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अरविंद पोसवाल ने को आवासन मंडल के मुख्यालय आवास भवन में आयुक्त का कार्यभार संभाला। उन्होंने मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक लेकर चल रही विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी भी ली। पोसवाल ने मंडल टीम द्वारा पिछले वर्षों में किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए बधाई दी और इस गति को



अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक लेकर ली विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी।

निरंतर बनाए रखने को कहा। उन्होंने कहा कि आवासन मंडल ने गुणवत्तायुक्त और समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए आमजन का विश्वास पाया है। सभी अधिकारिण इस विश्वास को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि टीम

भावना के साथ काम करते हुए ही हम आवासन मंडल की हमारा प्रयास-सबको आवास थीम को भूबलूट करते हुए आमजन को सुविधा संपन्न और गुणवत्ता युक्त आवास उपलब्ध करा सकते हैं।

जयपुर, (निस)। राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक (एसआई) भती परीक्षा 2025 को लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आगामी 05 और 06 अप्रैल 2026 को राज्य भर में आयोजित होने वाली इस परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस (एसओजी) विद्याल बंसल द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले तत्वों की सटीक जानकारी देता है, तो उसे एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। एसओजी ने इन आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9530429258 भी जारी किया है, जिस पर मैसेज के जरिए सूचना साझा की जा सकती है। पुलिस को अंदेशा है कि

■ पुलिस को अंदेशा है कि कुछ आपराधिक तत्व परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं

कुछ आपराधिक तत्व परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। विशेष रूप से प्रश्न पत्र लीक करने के प्रयास, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए नकल, असली अभ्यर्थी के स्थान पर डमी कैंडिडेट (मुन्ना भाई) बैनाना और अन्य किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुरस्कार वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जयपुर का होगा। इस आदेश की प्रतिलिपि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।

## जयपुर पासपोर्ट ऑफिस को फिर बम से उड़ाने की मिली धमकी

## विकसित ग्राम-विकसित वार्ड अभियान गांव व शहरों के सुनियोजित विकास का रोडमैप

जयपुर, (निस)। जयपुर स्थित झालाना के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस (आरपीओ) को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। गुरुवार को पासपोर्ट ऑफिस की अधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजे गए धमकी भरे लेख में बम विस्फोट की बात कही गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और तुरंत कार्रवाई शुरू की गई।

एसीपी (गांधीनगर) नारायण बाजिया ने बताया कि धमकी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एहतियातन कार्यालय परिसर को खाली करवाया गया। इसके बाद एटीएस के बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की मदद से सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि, जांच के दौरान किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। वहीं धमकी के बाद पासपोर्ट कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस तरह की

धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए हर एंगल से जांच की जा रही है। ई-मेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मेल किस लोकेशन और डिवाइस से भेजा गया। गौरतलब है कि पिछले 23 दिनों में यह तीसरा मौका है। जब जयपुर पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर के अलावा अलवर और अजमेर के पासपोर्ट सेवा केंद्रों को भी इसी तरह के धमकी भरे ई-मेल मिल चुके हैं।

तलाशी अभियान के दौरान एक दिलचस्प स्थिति भी सामने आई। जब पासपोर्ट ऑफिस के कुछ कर्मचारी टिफिन खोलकर भोजन करने लगे। जिन्हें सुरक्षा में लगे जवानों ने तत्काल रोका और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि जयपुर में पिछले कुछ समय से सरकारी और निजी संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला जारी है।

जयपुर, (निस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित ग्राम-विकसित वार्ड अभियान के अंतर्गत स्थानीय लोगों से सुझाव लेते हुए वर्ष 2030, 2035 एवं 2047 तक की आवश्यकताओं के अनुरूप गांव एवं शहरों के विकास का मास्टर प्लान एवं रोडमैप तैयार किया जा रहा है। मैपिंग इस अभियान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभियान की डिजिटल मैपिंग के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) से सहयोग प्राप्त करते हुए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर बीआईएसएजी (एन) द्वारा विभिन्न विभागीय परियोजनाओं में डिजिटल मैपिंग को बढ़ावा देने के संबंध में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित ग्राम-विकसित वार्ड अभियान में इस तकनीक से गांवों और शहरों की वास्तविक ज़रूरतों को



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीआईएसएजी (एन) द्वारा विभिन्न विभागीय परियोजनाओं की समीक्षा की।

समझकर योजना तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही, क्षेत्र विशेष की मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हुए प्लानिंग बनाने में यह सहायक होगा। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के तहत डिजिटल मैपिंग का अधिक से अधिक

उपयोग करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि 19 मार्च से 15 मई तक संचालित इस अभियान के अंतर्गत 14 हजार से अधिक ग्राम पंचायत एवं 10 हजार से अधिक शहरी वार्ड शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआईएसएजी (एन) द्वारा

## पूर्व उपमहापौर ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

जयपुर, (निस)। प्रदेश संयोजक स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ एवं पूर्व उपमहापौर पुनीत कर्णावट ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर अर्बन डेवलपमेंट टैक्स (यूडी टैक्स) में पेनल्टी एवं ब्याज छूट की अवधि बढ़ाने की मांग की है।

पुनीत कर्णावट ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि अर्बन डेवलपमेंट टैक्स शहरी निकायों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे नगरीय विकास एवं आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में सहायता मिलती है। राज्य सरकार द्वारा इस कर के बकाया भुगतान पर पेनल्टी एवं ब्याज में दी ग छूट, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी थी, एक सरहनीय कदम रहा है। इसके करदाताओं को राहत मिलने के साथ-साथ राजस्व संग्रह में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

उन्होंने बताया कि मार्च माह में वेतनभोगी, ब्यापारी एवं उद्यमियों पर विभिन्न करों एवं वित्तीय दायित्वों का अधिक दबाव रहता है, जिसके कारण अनेक करदाता समय पर अर्बन डेवलपमेंट टैक्स का भुगतान नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007 से 2026 तक की अवधि के लिए एकमुश्त देय राशि अधिक होने से भी भुगतान में कठिनाई उत्पन्न हुई है।

## सार-समाचार

### डॉ. रश्मि शर्मा ने समग्र शिक्षा राजस्थान के रूप में कार्यभार संभाला



जयपुर, (निस)। भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी आएएस डॉ. रश्मि शर्मा ने 2 अप्रैल को राजस्थान शिक्षा विभाग में राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, समग्र शिक्षा राजस्थान के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने उसी दिन विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। बैठक में प्रेजेटेशन के माध्यम से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् की प्रशासनिक व्यवस्था, विभिन्न योजनाओं, गतिविधियों एवं अन्य प्रमुख बिंदुओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त ने विभिन्न कॉम्पोनेंट्स द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशानिर्देश दिए तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका फोकस राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त, समावेशी एवं परिणामोन्मुख बनाने पर रहेगा। डॉ. शर्मा के पास प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और उन्होंने पूर्व में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक विकास से जुड़े विषयों पर उल्लेखनीय कार्य किया है। बैठक में वित्त सलाहकार अनुपमा शर्मा, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक प्रथम श्रीमती सीमा शर्मा, द्वितीय श्री अशोक कुमार मीणा, सहित विभिन्न उपायुक्त, उपनिदेशक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

### पंचायतों और निकायों के चुनाव तय समय में नहीं कराने पर अफसरों को अवमानना नोटिस

जयपुर, (निस)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी प्रदेश की ग्राम पंचायतों व निकायों के चुनाव 15 अप्रैल तक नहीं कराने पर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह और आयोग सचिव राजेश वर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढा की अवमानना याचिका पर दिए। इसके साथ ही अदालत ने पंचायत चुनाव के मामले में गिरिजा मदादात सूची को दर कर देकर अवमानना याचिका को इस याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजेश्वर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चुनाव की तय समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। इस पर अदालत ने कहा कि यह सीधे तौर पर अदालती आदेश की अवमानना है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। अवमानना याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने 14 फरवरी 2025 को निर्देश दिया था कि प्रदेश की ग्राम पंचायत व निकायों के चुनाव एक साथ 15 अप्रैल 2026 तक कराए। इसके साथ ही राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। इस आदेश के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के समय सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल से मना करते हुए 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए कहा था। याचिका में कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए गत फरवरी 2025 में जारी किए कार्यक्रम में 22 अप्रैल तक निर्देशित मदादात सूची जारी करना तय किया है। इससे साफ है कि किसी भी सूत्र में 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हो सकते हैं। वहीं गिरिजा सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवदा ने अदालत को बताया कि अदालत ने निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के आदेश दिए थे। पंचायत चुनाव की अंतिम मदादात सूची जारी कर दी गई है, लेकिन दोनों चुनाव एक साथ नहीं कराए जा रहे। ऐसे में अवमानना कर्ता अफसरों को अदालती आदेश की अवमानना करने को लेकर दंडित किया जाए।

### सरस ब्राण्ड से मिलते-जुलते नाम से घी के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक

जयपुर, (निस)। वाणिज्यिक न्यायालय क्रम 2 जयपुर महानगर द्वितीय ने राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के पक्ष में बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने आरसीडीएफ के प्रतिष्ठित ब्राण्ड सरस के नाम से मिलते-जुलते ब्राण्ड श् श्री पार्व शरस श् ब्राण्ड के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने सरस ब्राण्ड को सुप्रसिद्ध ट्रेड मार्क मानते हुए इसके नाम का दुरुपयोग करने पर पाली की फर्म मैसर्स रत्नदीप मिलक प्रोडक्ट्स को क्षतिपूर्ति के रूप में आरसीडीएफ को 50 हजार रुपये के भुगतान का आदेश भी पारित किया है। न्यायालय ने फर्म को श्री पार्व शरस के उत्पादन से संबंधित सभी सामान को नष्ट करने के आदेश भी दिये हैं। राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की ओर से अधिवक्ता यशवर्धन सिंह ने माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आरसीडीएफ का सरस ब्राण्ड एक प्रतिष्ठित ब्राण्ड है और आम उपभोक्ता इसकी गुणवत्ता पर पूरा भरोसा करते हैं। प्रतिवादी फर्म ने समान और शायक रूप से मिलते जुलते ट्रेड मार्क श्री पार्व शरस ब्राण्ड के नाम से घी का उत्पादन कर आरसीडीएफ के पंजीकृत ट्रेड मार्क का उल्लंघन किया। आरसीडीएफ द्वारा माननीय न्यायालय में सरस से मिलते-जुलते नाम से घी के उत्पादन एवं क्रियेय पर रोक लगाने और प्रतिवादी को दंडित किया जाने के लिये वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय के इस निर्णय से प्रतिष्ठित सरस ब्राण्ड के नाम से मिलते-जुलते ब्राण्ड्स से आम उपभोक्ताओं को निजात मिलेगी और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त सरस ब्राण्ड का भी एवं उत्पाद आसानी से उपलब्ध होंगे।

### युवक की हत्या कर प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर शव खाली प्लॉट में फेंका

जयपुर, (निस)। करघनी थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर उसके शव को प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर खाली प्लॉट में ले जाकर फेंक दिया और शिनाखा नहीं होने के कारण केमिकल डालकर आग लगा कर जला दिया। लेकिन शव पूरा नहीं जल पाया और आग बुझ गई। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने अदरजला युवक का शव पड़ा देख मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर भी को कांवेस्टा अस्पताल के मृत्युघर में भिजवाया। जहां से पुलिस ने शव को शिनाखा कर मामले की जानकारी उसके परिवर्जितों को दी। एड.डीसीपी (वेस्ट) राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को स्थानीय लोगों ने खाली प्लॉट में अदरजला युवक का शव पड़ा होने की सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने निवारक पुलिसिया से कुछ ही दूरी पर एक खाली प्लॉट से युवक का अदरजला शव बरामद किया। पुलिस ने घटना स्थल से एफएसएल टीम व डॉग स्क्वाड टीम की सहायता से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि युवक की किसी दूसरी जगह हत्या की गई, जिसके बाद प्लास्टिक के एक बड़े कट्टे में शव को बांधकर देर रात यहां फेंककर ठिकाने लगाया गया। मृतक की पहचान शिवको के लिए उसके मुंह और शरीर पर किसी ज्वलनशील केमिकल को डालकर आग लगाई गई है।

### न्यू टैक्स वसूली में सरकार की सख्ती, जनता बेहाल राहत की अवधि बढ़ाने की मांग तेज

जयपुर, (निस)। राजस्थान में नगरीय विकास कर (टैक्स) को लेकर सरकार की सख्त नीति अब आम जनता पर भारी पड़ रही है। एक तरफ सरकार राजस्व बढ़ाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर हजारों करदाता पेनल्टी और ब्याज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। नगर निगम जयपुर में नेता प्रतिपक्ष रहे गिरिजा खंडेलवाल ने इस पूरे मुद्दे पर सरकार को सीधे तौर पर घेरेते हुए कहा कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक पेनल्टी और ब्याज में छूट देकर राहत का दिखावा जरूर किया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस अवधि में अधिकांश लोग भुगतान ही नहीं कर पाए।